कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

उत्तराखण्ड शासन

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)

पत्रांक 2109 /2ई0 दिनांक 26 /11/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषयः– **माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.980 है0 वनभूमि का लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/20005/2016)**

सन्दर्भः– नोडल अधिकारी देहरादून के **Eds Dated 20-06-2019**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि नोडल अधिकारी देहरादून **द्वारा** उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं, उनका बिन्दुवार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	The certificate of Aerial distance of the project area is not found uploaded in from A, part-I	Uploaded certificate of aerial distance of the project area in Form A, part I **(Additional information Details)**
2	Name and designation of the competent authority who has issued the authorization letter in favour of authorized person is not mentioned.(Online para-A-3(xvii) of Part-I)	Authority Letter at para A-3(XVII) is now uploaded for E.E. S.K.Pandey (Sanjay Kumar Pandey) and also provided in hard copy.
3	User agency may review permanent employment generation detail at section E in Form A, part I. Please rectify accordingly.	Correct employment details in online Part-I at para-E (ii) & (iii) Empolyment generation data, it is seen that tempoarary employment of 13500man days & Permanent Empolyment 0.
4	As per KML file its same the dense forest and no habitation exists near the area. No of the village to be benefited is mentioned too, User agency may submitted detail justification of the requirement of road and show the beneficiary village along with the existing road networking KML file.	उक्त मोटर मार्ग में दाडिमखेत, स्यालडुगर तोक (कन्यालीकोट) 2 गॉव लाभान्वित हो रहे है। जिसका विवरण justification में भी दिया गया है।
5	Some other documents has been uploaded in the place of Mou, Ownership proof and non encumberance certificate at section L-iv(f,g,h) in form A Part-I	Re-upload Mou, Ownership proof and non encumberance certificate at section L-iv(f,g,h) in form A Part-I
6	CA scheme, CA site suitability ceritifcate, NPV calculation Land Scheduled, Bar Chart, District profile and Aerial Distance certificate has not been uploaded as an additional information at para-13 in form A, part II.	CA scheme, CA site suitability ceritifcate, NPV calculation Land Scheduled, Bar Chart, District profile and Aerial Distance certificate Re-upload in part-I **Part-II Related to DFO .**

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

प्रारूप–1

Mr. S.K.Pandey (Executive Engineer) is here by authorized to upload the Land Transfer proposal regarding Construction of Darimkhet-Kanyalikot Motor road (Length 5.00) of the C.D.P.W.D. Kapkot (agency name) on the Government of india portal www.forestclearance.nic.in on behalf of the Superintending Engineer (head of the Instituion name/designation

अधिशासी अभियन्ता
सिविल एवं लोक निर्माण विभाग
बागेश्वर

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य **अस्कोट** की सीमा से हवाई दूरी 40 किमी0 है।

वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित मोटर पन्द्रहपाली हडबाड(पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग के किमी0 24 है0 4–6 से प्रारम्भ होता है जो दाडिमखेत एवं स्यालडुगा(कन्यालीकोट) इत्यादि ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी .... है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गॉव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पांएगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएगें साथ ही गॉव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह संरेखण सिविल भूमि, आरक्षित भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.440 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.540 हेक्टेयर एवं नापभूमि 2.520 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं0–1 इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन पन्द्रपाली हडबाड (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग के किमी0 24 है0 4–6 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 05 नं0 हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं0–2 इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल पन्द्रपाली हडबाड (पी0एम0जी0एस0वाई0) मोटर मार्ग के किमी 24 है0 4–6 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 07 नं0 हियरपिन बैण्ड पडतें हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं–1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.440 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.540 हेक्टेयर एवं नापभूमि 2.520 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 5.00 किमी0 व चौडाई 9 मी0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 6 डम्पिंग जोन जिनकी चौडाई 1.50 मी0 है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊंचाई 2.00 से 3.00 मी0 के बीच है प्रस्तावित किये गये है। मार्ग निर्माण 6.00 मी0 चौडाई मे किया जायेगा तथा इसके पष्चात खडड साईड मे स्थित 1.50 मी0 चौडाई के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त 6 डम्पिंग जोन में 6.00 मी0 मार्ग निर्माण एवं खडड साईड मे 1.50 मी0 कुल 7.50 मी0 चौडाई मे भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी0 चौडाई में सम्मिलित है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें ।

कनिष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0. कपकोट	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

प्रपत्र– 2.36

परियोजना का नामः–जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेषा संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वनभूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:–

1. ईको– क्लास श्रेणी **5 V**
2. हरियाली का घनत्व 0.2
3. हरियाली की दर प्रति है0 **6.57** है0 लाख
4. आवेदित वनभूमि का क्षेत्रफल 1.980 है
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि **13.08** लाख

वन क्षेत्राधिकारी
धरमघर
धरमघर वन क्षेत्र
बागेश्वर वन प्रभाग

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
उप-प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

<u>प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि **जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण** में स्थानीय काश्तकारों की जितनी भी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर किया जायेगा।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

1.10(A)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण एवं रजर्व वनभूमि घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 1.980 है0 भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 3.960 है0 भूमि ग्राम पोलिग की सिविल बेनाप खाता सं0 9(3)ख0 बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसकी खसरा–खतौनी सलग्न है।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

1.10(B)

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुबन्ध

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा सं0 665/2015 के अन्तर्गत दाडिमखेत से कन्यालीकोट तक 5.00 किमी0 मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित 1.980 है0 भूमि के बदले दुगुने में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 3.960 है0 भूमि ग्राम पोलिग की सिविल बेनाप खाता सं0 9(3)ख0 बजर काबिल आबाद भूमि जो राज्य सरकार की भूमि है। जिसकी खसरा–खतौनी सलग्न है।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.
कपकोट